

महापौर का बद्हाल बंगला अपनी दुर्दशा पर ही बहा रहा आंसू

मनपा प्रशासन ने 4 वर्षों से इस बंगले पर कोई ध्यान नहीं दिया | गेट टूटे, पेंट उखड़ा, सीढ़ियां टूटी, परिसर में कचरा ही कचरा



इसके चलते आज महापौर का यह बंगला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ ही नजर आ रहा है. यहां के दरवाजे टूटे हैं, पेंट उखड़ा पड़ा है और परिसर में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है.



उल्लेखनीय है कि 1996 में अमरावती महापौर के निवास के लिए विद्यापीठ मार्ग पर बंगले का निर्माण किया गया था. इस बंगले को महापौर का अधिकृत निवास माना जाता है. शहर के प्रथम नागरिक का यह बंगला होने की वजह से मनपा प्रशासन इसकी साज-सज्जा और रख-रखाव पर अधिक ध्यान देता है.

सुबह-सुबह लूट की वारदात, जमकर हुई पिटाई

फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की घटना, लोगों ने दो आरोपियों को पकड़ा

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी - शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवखोरी से यशोदा नगर मार्ग पर सोमवार, 9 फरवरी की सुबह मोबाइल झपटमारी की घटना सामने आई है. यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे के दौरान घटित हुई. जब एक 16 वर्षीय युवक रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उसके पास से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की. लेकिन शोर शराबा होते ही मौजूद लोगों ने दोनों लुटेरों को पड़कर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान

मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से मोबाइल झपटने की कोशिश

पंचशील नगर निवासी क्षितिज मैश्राम और रोहित बोरकर के रूप में की है.



जानकारी के अनुसार शांति नगर निवासी 16 वर्षीय नीजल राजेश गवई रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उसके पास आए और कुछ देर तक आस-पास घूमते रहे. बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद वही दोनों युवक दोबारा पीछे से नीजल के पास पहुंचे. इसी दौरान नीजल के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वह बात करने लगा. इसी मौके का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने अचानक झपट्टा मारते हुए नीजल का मोबाइल छीन लिया और तेजी से भागने लगे.

चित्रा चौक उडानपुल पर बड़ा हादसा टला

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी - अमरावती के चित्रा चौक- पठान चौक उडानपुल पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सोमवार, 9 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक ट्रक अनियंत्रित होकर उडानपुल के पिलर से जा टकराया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ट्रकर इतनी जोरदार थी कि पिलर के ऊपर मौजूद पुल का ढांचा कुछ क्षणों के लिए कांप उठा. यदि ढांचा गिर जाता, तो गंभीर दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर यातायात सिपाहियों को तैनात कर दिया गया और मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया. जानकारी के अनुसार उडानपुल का निर्माण कार्य अब फिर से रफ्तार पकड़ चुका है. पठान चौक क्षेत्र में आगामी बड़े निर्माण को देखते हुए एक ओर का मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर, वाहनों को एकडेमिक स्कूल के मैदान की ओर से डायवर्ट किया गया है. इसी मार्ग से बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजर रहे हैं.

ट्रक ने पिलर को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक का ध्यान भटकने के कारण वह बंद किए गए मार्ग की ओर आगे बढ़ गया और पिलर से टकरा गया. ट्रकर के बाद पिलर का ढांचा हिल गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़शा फैल गई. गनीमत रही कि पुल का ढांचा गिरा नहीं और बड़ा हादसा टल गया. दुर्घटना के बाद दोपहर से ही वहां यातायात पुलिस तैनात कर दी गई है, जो वाहन चालकों को दिशा-निर्देश दे रही है.

उल्लेखनीय है कि उडानपुल का निर्माण लंबे समय से लंबित होने के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. कोर्ट द्वारा पुल का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने की दी गई समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है. इस ताजा घटना ने एक बार फिर उडानपुल की सुरक्षा और निर्माण की धीमी गति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उच्च न्यायालय ने अमरावती कारागृह अधीक्षक को जारी किया नोटिस

15 कैदियों की पैरोल छुट्टी नामंजूर किए जाने का मामला | कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अधिकारियों की दौड़भाग

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी - अमरावती केन्द्रीय कारागृह के 15 कैदियों की पैरोल छुट्टी नामंजूर किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के दौरान जब न्यायालय ने कारागृह प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा, तो कारागृह अधीक्षक की ओर से जवाब दिया गया कि संबंधित कैदियों ने पैरोल के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने कारागृह प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि यदि कैदियों ने झूठे कागजात दिए थे, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया. इसके बाद कारागृह प्रशासन 15 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दौड़भाग करता नजर आया.

अमरावती जिला केन्द्रीय कारागृह विदर्भ का सबसे बड़ा कारागृह है, जिसकी क्षमता 937 कैदियों की है. यहां पांच जिलों सहित अन्य राज्यों के कैदियों को भी रखा जाता है, जिसके कारण कारागृह क्षमता से अधिक भरा हुआ है. वर्तमान में यहां 27 महिला कैदी भी बंद हैं. कारागृह में सजा काट रहे कैदियों को संचित और अभिवचन छुट्टी मिल सकती है. विशेष परिस्थितियों में, कुछ शर्तों के तहत पैरोल छुट्टी भी दी जाती है. यह कैदियों का अधिकार माना जाता है. परिवार में बीमारी, मृत्यु जैसी परिस्थितियों में, अच्छा आचरण रखने वाले कैदियों को सजा पूरी होने से पहले भी यह छुट्टी मंजूर की जाती है. पैरोल अवकाश का उद्देश्य

अपराध दर्ज करने के लिए ठोस दस्तावेज जरूरी

शुक्रवार, 6 फरवरी को कारागृह के कर्मचारी 15 कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए आए थे. लेकिन उनके पास कैदियों के विरुद्ध ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. अपराध दर्ज करने के लिए घटना, तारीख और समय—ये तीन बातें आवश्यक होती हैं और ये विवरण उनके पास नहीं थे. इसलिए अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया गया.

रोशन शिरसाट, थाना प्रभारी, फ्रेजरपुरा व्यवस्थित दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं

15 कैदियों ने झूठे चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई थी. उच्च न्यायालय के आदेश मिलते ही सभी आवश्यक और पूर्ण दस्तावेज एकत्र कर अपराध दर्ज किया जाएगा.

विलास भोईते, प्रभारी कारागृह अधीक्षक

मांगा. जवाब में अधीक्षक ने बताया कि कैदियों ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनके अवकाश की मांग नामंजूर की गई. इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि दस्तावेज झूठे थे, तो संबंधित कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया. साथ ही, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कैदियों के खिलाफ तत्काल संबंधित थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद कारागृह प्रशासन ने कैदियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एकत्र किए और शुक्रवार,

अपराध दर्ज करने के लिए ठोस दस्तावेज जरूरी

शुक्रवार, 6 फरवरी को कारागृह के कर्मचारी 15 कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए आए थे. लेकिन उनके पास कैदियों के विरुद्ध ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. अपराध दर्ज करने के लिए घटना, तारीख और समय—ये तीन बातें आवश्यक होती हैं और ये विवरण उनके पास नहीं थे. इसलिए अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया गया.

रोशन शिरसाट, थाना प्रभारी, फ्रेजरपुरा व्यवस्थित दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं

15 कैदियों ने झूठे चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई थी. उच्च न्यायालय के आदेश मिलते ही सभी आवश्यक और पूर्ण दस्तावेज एकत्र कर अपराध दर्ज किया जाएगा.

विलास भोईते, प्रभारी कारागृह अधीक्षक

मांगा. जवाब में अधीक्षक ने बताया कि कैदियों ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनके अवकाश की मांग नामंजूर की गई. इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि दस्तावेज झूठे थे, तो संबंधित कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया. साथ ही, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कैदियों के खिलाफ तत्काल संबंधित थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद कारागृह प्रशासन ने कैदियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एकत्र किए और शुक्रवार,

अपराध दर्ज करने के लिए ठोस दस्तावेज जरूरी

शुक्रवार, 6 फरवरी को कारागृह के कर्मचारी 15 कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए आए थे. लेकिन उनके पास कैदियों के विरुद्ध ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. अपराध दर्ज करने के लिए घटना, तारीख और समय—ये तीन बातें आवश्यक होती हैं और ये विवरण उनके पास नहीं थे. इसलिए अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया गया.

रोशन शिरसाट, थाना प्रभारी, फ्रेजरपुरा व्यवस्थित दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं

15 कैदियों ने झूठे चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई थी. उच्च न्यायालय के आदेश मिलते ही सभी आवश्यक और पूर्ण दस्तावेज एकत्र कर अपराध दर्ज किया जाएगा.

विलास भोईते, प्रभारी कारागृह अधीक्षक

मांगा. जवाब में अधीक्षक ने बताया कि कैदियों ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इसलिए उनके अवकाश की मांग नामंजूर की गई. इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि दस्तावेज झूठे थे, तो संबंधित कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया. साथ ही, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कैदियों के खिलाफ तत्काल संबंधित थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद कारागृह प्रशासन ने कैदियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एकत्र किए और शुक्रवार,